राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2193/2007

गोविन्द राम सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक जोशी, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुप्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 24.11.1979 कि द्वारा अप्रिन्टस के तौर पर हुआ था एवं उक्त आदेश में अंकित था कि अपीलार्थी को 6 माह के लिए संवेतन जल योजना, खींवसर में लगाया था। इस अवधि में अपीलार्थी का कार्य संतोषजनक होने पर विधुतकार पद पर वेतन श्रृंखला 295–8–335–15–500 एवं महंगाई भत्ता नियत कर दिया जायेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अंकित किया है कि उक्त नियुक्ति आदेश के पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.06.1980 के द्वारा प्रेषित सूचि एवं सेवारत मस्टर रोल के कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश द्वारा नियुक्ति दी गई थी। जिसमें अपीलार्थी की नियुक्ति सहायक के पद पर वेतनमान 245–310 के रूप में की गई, जबकि अपीलार्थी को पूर्व आदेश दिनांक 24.11.1974 के द्वारा दर्शाया गया था कि विधुतकार के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थी के पास विधुतकार के पद पर कार्य करने हेतु प्रमाण पत्र भी था, जिसे ध्यान में नहीं रखा गया है तथा अपीलार्थी को विधुतकार के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में गलत रूप से नियुक्ति अधिकारी मुख्य अभियंता को बताया है। जबकि वास्तव में अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता ने नियुक्ति प्रदान की थी।
2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 24.11.1979 को नियुक्ति आदेश नहीं माना जा सकता और उक्त आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग नियुक्ति प्रदान किये जाने के लिए बाध्य नहीं है। यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के अधीन

राज्य कर्मचारी के रूप में कतई नहीं हुई । उसे प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अप्रेन्टिस ट्रेनी के रूप में ट्रेनिंग अवधि में 7/– रूपये प्रतिदिन स्टाईपन्ड देय होने के आधार पर लगाया गया था । इसलिये अप्रेन्टिस एक्ट 1961 की धारा– 18 के प्रावधानों के अनुसार विवादित आदेश दिनांक 24–11–1979 को नियुक्ति आदेश नहीं माना जा सकता है । अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में अप्रेन्टिस ट्रेनी के रूप में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 की धारा– 18 के अन्तर्गत लगाया गया था। उसे वर्कर/कर्मचारी की परिभाषा में नहीं था इसलिये वह नियमित नियुक्ति के परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विवादित आदेश दिनांक 24–11–79 इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्ति आदेश नहीं है और उक्त आदेश अपीलार्थी को भविष्य में प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नियुक्ति दिये जाने का आश्वासन/एश्योरेन्स भी नहीं था। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में अप्रेन्टिस ट्रेनी के रूप में कुछ अवधि के लिये लगाया गया था, इसलिये विवादित आदेश को इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्ति आदेश नहीं माना जा सकता है और उक्त आदेश से अपीलार्थी को कार्यानुभव प्रदान किया गया था तथा प्रत्यर्थी विभाग के अधीन उसे नियुक्ति दिये जाने की बाध्यता नहीं रखता था केवल मात्र उसे उक्त अप्रेन्टिस ट्रेनी के आधार पर कहीं पर भी नियुक्ति के समय वरियता दिये जाने हेतु कन्सीडर किए जाने का एक आधार अप्रेन्टिस ट्रेनी मिला था। अप्रेन्टिस ट्रेनी का आदेश अपीलार्थी को राजस्थान अभियान्त्रिकी अधीनस्थ सेवा (पब्लिक हैल्थ ब्रान्च) नियम 1967 के अन्तर्गत इलेक्ट्रीशियन के पद की वेतन श्रृंखला नहीं दिलवा सकता है और राजस्थान अभियान्त्रिकी अधीनस्थ सेवा (पब्लिक हैल्थ ब्रान्च) नियम– 1967 के अन्तर्गत इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के नियोक्ता अधिकारी मुख्य अभियन्ता द्वारा ही नियुक्ति प्रदान की जा सकती है । अपीलार्थी पर श्रमिक विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अप्रेन्टिस एक्ट 1961 की धारा– 18 के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यार्थी किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आता है । इसलिये अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने नियुक्ति आदेश दिनांक 24.11.1979 को इस हद तक चुनौती दी है कि अपीलार्थी की नियुक्ति सहायक के पद पर दी गई, जबकि अपीलार्थी को नियुक्ति विधुतकार के पद दी जानी चाहिए थी। अपीलार्थी ने यह अपील वर्ष 2007 में प्रस्तुत की थी। जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश वर्ष 1980 का था। अपीलार्थी ने अपने नियुक्ति आदेश को गलत बताते हुए 27 साल बाद

अपील प्रस्तुत की है। देरी से अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है।

4. गुणावगुण पर विचार करने पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.06.1980 के द्वारा ही होना माना जा सकता है। अपीलार्थी आदेश दिनांक 24.11.1979 के आधार पर कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि आदेश दिनांक 24.11.1979 नियुक्ति आदेश नहीं है, बल्कि अप्रिन्टस के रूप में कार्य करने का आदेश है। इस आधार पर अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हेाता है।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)